

FORM-1
(for linear projects)

Government of Rajasthan
Office of the District Collector Baran, Rajasthan

No: 4/2017

Dated: 10 May, 2017

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN


In Compliance of the Misnistry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxtion in respect of linear projects, it is certified that **5.2320** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Water Resources Division III, Baran (name of user agency) for **Right Main Canal and Minor of construction of Ahmadi Minor Irrigation Project** in Baran district falls within jurisdiction of **Gram Panchayat Bajarangarh in Tehsil Kishanganj.**

It is Further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **5.2320** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the **Gram panchayat, Sub-Division Level Committee** and the **District Level Committee** are enclosed as annexure- 1 to 3. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section, 3(2) of the FRA have been completed Gram Panchayat has given us consent to it,
- (b) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pro agricultural Communities.

Encl; As above

Signature



(Dr. S.P. Singh)

Presedent of District Level committees &
District Collector, Baran

श्रृंखला क्र. का नाम	प्रस्तावार्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन	उपखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत अर्थात् वन भूमि ग्राम व ग्राम पंचायत	प्रस्तावित वन भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों / ग्राम सभा की बैठक दिनांक	उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति में प्रस्ताव अनुमोदित दिनांक	
				खंड क्र.	रकबा			
1. काशिशाही अभियंता, जन संसाधन खण्ड तृतीय बारा	अहमदी लघु सिंचाई परियोजना की दायी मुख्य नहर एवं माइनर हेतु	किशनगंज	अहमदी	ग्राम पंचायत खजरगंज	306	0.2400	26.01.2017	08.02.2017
					304	0.6120		
					303	0.1800		
					300	0.4200		
					301	0.6940		
					300	0.5700		
					283	0.1200		
					558	0.9000		
					556	0.3600		
						1.2600		

इन प्रस्तावों के अवलोकन व परीक्षण करने से पाया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि पर ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों एवं उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समितियों के अनुशंसा अनुसार वन भूमियों के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित है। अतः प्रावधानों के अनुकूल अनुमोदित प्रस्तावों का संशोधन एवं अहमदी लघु सिंचाई परियोजना दायी नहर एवं माइनर के प्रस्तावार्जन प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है। अतः निम्नी प्रपत्र (कार्म-1) (कार्म-11) में प्रमाण पत्र जारी किये जाने को अनुशंसा की जाती है।

(डॉ० एस.पी. सिंह)
अध्यक्ष एवं जिला वन्यजंतु अधिकारी एवं जिला वन्यजंतु अधिकारी, बारा
जिला वन्यजंतु अधिकारी, बारा
(सरोज मीना)
सदस्य, जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारा

(राजीव कश्यप)
उप वन्यजंतु अधिकारी एवं वन्यजंतु अधिकारी, बारा
(कल्याणशशी शीना)
सदस्य, जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारा

(अशोक मुकुन्दगुप्ता)
सहायक वन्यजंतु अधिकारी एवं वन्यजंतु अधिकारी, बारा
(निर्मला मीना)
सदस्य, जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारा

कार्यालय ग्राम पंचायत बजरंगगढ़, जिला-बारा

क्रमांक :-

दिनांक :-

--: ग्राम स्तरीय वनाधिकारी समिति :-

दिनांक 26.11.2017 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 एवं नियम-2008 तथा संशोधित नियम-2012 की धारा-3(1) व (3)2 के प्रावधानानुसार प्रभावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत वन भूमि के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित अभवा प्रक्रियाधीन है।

क्र.स.	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	दायी मु. नहर एवं माइनर के निर्माण हेतु रकबा
					हेक्टर	हेक्टर
1	2	3	4	5	6	7
1			अहरदा	259, 258, 257	1.1460	1.1460
2	बजरंगगढ़	किशनगंज	अहमदी	306, 304, 303, 300, 301, 300, 283	2.8260	2.8260
3			बजरंगगढ़	558, 556	1.2600	1.2600
कुल योग					5.2320	5.2320

ग्रामपाल
वनपाल

ग्राम सेवक/पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत बजरंगगढ़
जिला-किशनगंज (बारा)

ग्राम पंचायत बजरंगगढ़
पं.स.किशनगंज (बारा)

--: उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति :-

आज दिनांक 08.10.2017 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 एवं नियम-2008 तथा संशोधित नियम-2012 की धारा-3(1) व (3)2 के प्रावधानानुसार प्रभावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत वन भूमि के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं हुआ है ना ही वर्तमान में कोई दावा लम्बित अभवा प्रक्रियाधीन है।

संबंधित ग्रामसभा द्वारा प्रभावित वन भूमि प्रत्यावर्तन की सहमति/अनापत्ति अनुसार, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अहमदी लघु सिंचाई परियोजना की निम्नानुसार प्रभावित वनभूमि प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की जाती है।

क्र.स.	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	दायी मु. नहर एवं नाइजर के निर्माण हेतु रकबा
					हेक्टर	हेक्टर
1	2	3	4	5	6	7
			अहमदा	259, 258, 257	1.1460	1.1460
1	बजरंगगढ़	किशनगंज	अहमदी	306, 304, 303, 300,	2.8260	2.8260
2				301, 300, 283		
				बजरंगगढ़	558, 556	1.2600
3			कुल योग	5.2320	5.2320	5.2320

विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, किशनगंज

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
किशनगंज

उपखण्ड अधिकारी,
किशनगंज, जिला बरां

11/10/17
AEM-II, Bha.

Annexure- V

आज दिनांक 26.01.2017 को ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में आने वाली अहमदी तट्टु सिंचाई परियोजना की दांयी मुख्य नहर व माइनर में, जो वन विभाग से गुजर रही है, वर्तमान में इसकी आवश्यकता के लिए नहर, माईनर बनाना प्रस्तावित है। अतः सर्व सम्मति से नहर, माईनर के निर्माण में किसी भी सदस्य को वन क्षेत्र में नहर, माईनर बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्राम सभा के रजिस्टर में क्रमांक 6 पर इन्ट्रज हैं तथा ग्राम सभा में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई।


ग्राम सभा अध्यक्ष
पं. स. केशवराज (बारा)


ग्राम सचिव / सदस्य
पं. स. केशवराज (बारा)

